


कार्यालय खनि अभियन्ता करौली

क्र.सं	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	25		
2	खनिज	सिलिका सैण्ड		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, करौली		
4	प्लॉट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	नि० ग्राम –सैमरदा तहसील व जिला करौली		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	34.0402 है०		
6	भूमि का प्रकार	चारागाह		
7	स्थिरभाटक	40000 / – प्रति है० एवं समय– समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	प्लॉट की सीमा, स्तम्भों के अंक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°23'09.69181"	76°49'50.05241"
		B	26°23'03.55266"	76°49'45.13398"
		C	26°22'58.15346"	76°49'41.11904"
		D	26°22'54.05850"	76°49'38.91998"
		E	26°22'47.98434"	76°49'34.40338"
		F	26°22'43.52546"	76°49'32.21882"
		G	26°22'29.81012"	76°49'17.09249"
		H	26°22'32.92776"	76°49'15.95514"
		I	26°22'38.55786"	76°49'17.96310"
		J	26°23'01.11155"	76°49'32.30971"
		K	26°23'00.76314"	76°49'34.80511"
		L	26°23'11.46856"	76°49'40.55416"
		M	26°23'14.61351"	76°49'44.68808"
N	26°23'15.18555"	76°49'45.27650"		
O	26°23'10.52958"	76°49'50.85643"		

9	विशेष शर्त	उक्त क्षेत्र चारागाह भूमि में पडता है। Rajasthan Tenancy act (government) Rules 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम बोलीदाता को चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यापित करनी होगी। तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यापण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खनन कार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खनन पट्टा की स्वीकृति जारी हो सकेगी।
---	------------	---


(पुष्पेन्द्र कुमार मीना)
खनि अभियन्ता
करौली